

1. How to avail services of Online Delivery of Citizen Services?

run url www.jodhpurjda.org
then click online Citizen Service.

2. What if I face any problem in online submission?

you can send mail to jdajodpur-rj@nic.in
and make a call on 9799042144

3. Which property related services have been made online by Jodhpur Development Authority?

Jodhpur Development has started receiving online application for :-

1. Name Transfer
2. Sale Permission
3. Building Permission Service (up to 500 sq Mtrs)
4. Lease Exemption service
5. NOC service
6. Lease Online Payment

(the attached affidavits and other thing sample are shown in these links)

4. How do I see notification received from JDA against the application applied for under e-services ?

you can get SMS regarding you progress of work time to time. Also can get print from

Important link

[Citizen Care Center Application Status](#)

5. Can I nominate another person to appear before the counsellor to verify my uploaded documents?

Normally it is not allowed. However in case of unavoidable circumstances and a valid reason you may nominate another person for which you are required to provide authority letter along with photo id of both (applicant & nominated person) which would be uploaded as attachment by counselor against your application.

6. What if I submit the application with some wrong details or uploaded wrong documents?

Don't worry. Single Window operator/ Counselling clerk will thoroughly check your application submitted online by you and will correct the required fields with your consent. In case any documents are missing, SMS will sent to you registered Mobile Number.

अनुमोदित योजनाओं में भूखण्डधारी को अपने भूखण्ड का पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड के नियमन/पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रय किया जाना होगा। जिसमें उसे आवेदन पत्र प्रपत्र-1 में भरना है तथा प्रपत्र-2 में शपथ पत्र तथा प्रपत्र-3 में क्षतिपूर्ति बंध पत्र भी भरना होगा। शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तथा क्षतिपूर्ति बंध पत्र 500/- रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा। क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर से सत्यापित कराना होगा। इन सभी को तैयार कर प्रार्थी/आवेदक एक पत्रावली में भूखण्ड के समस्त चैनल दस्तावेजों की फोटो प्रतियां मय रसीद आदि अन्य कोई और हो तो संलग्न कर प्रस्तुत किये जाते हैं।

आवेदक द्वारा नियमन हेतु मूल दस्तावेज/पत्रावली प्रस्तुत करने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मूल दस्तावेजों/पत्रावली का परीक्षण कर स्वामित्व रिपोर्ट अंकित की जायेगी।
2. उक्त रिपोर्ट के पश्चात् उपायुक्त महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाती है। जिस पर उपायुक्त महोदय द्वारा मौका रिपोर्ट/स्वामित्व रिपोर्ट हेतु सम्बन्धित पटवारी/ तहसीलदार को मार्क की जाती है।
3. पटवारी/तहसीलदार भूखण्ड के सम्बन्ध में रिपोर्ट अंकित कर पुनः पत्रावली शाखा लिपिक को प्रेषित करता है।
4. सम्बन्धित शाखा लिपिक मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड की राशि गणना कर उपायुक्त महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करता है। जिसमें नियमन राशि की गणना कर 40-60 प्रतिशत राशि का चालान अलग से तैयार कर उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है। हस्ताक्षर होने के पश्चात् चालान पर दिनांक अंकित कर जारी किया जाता है।
5. आवेदक द्वारा राशि जमा करवाने पर जमा राशि की रसीद सम्बन्धित लिपिक के समक्ष प्रस्तुत करता है।
6. राशि जमा होने के उपरान्त आवेदक द्वारा पट्टा विलेख पर फोटो चिपका कर एवं हस्ताक्षर कर दो गवाह के हस्ताक्षर उपरान्त शाखा में प्रस्तुत किया जाता है।
7. सम्बन्धित लिपिक द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त होने पर पट्टा तैयार कर उपायुक्त महोदय के माध्यम से सहायक नगर नियोजक को पत्रावली साईट प्लान तैयार कर हस्ताक्षर हेतु पत्रावली प्रेषित की जाती है।
8. सहायक नगर नियोजक के हस्ताक्षर उपरान्त उपायुक्त महोदय के समक्ष हस्ताक्षर हेतु पत्रावली प्रेषित की जाती है। उपायुक्त महोदय द्वारा पट्टा विलेख हस्ताक्षर कर सम्बन्धित लिपिक को पत्रावली प्रेषित की जाती है। लिपिक द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर पट्टा विलेख डिस्पेंच रजिस्टर में इन्द्राज कर सम्बन्धित आवेदक को पट्टा विलेख जारी कर दिया जाता है।

